269

संख्या–   /XVIII(II)/12–3(119)/2011

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 26 जून, 2012

विषयः–सेवारत सैनिक/पूर्व सैनिकों के बालकों/बालिकाओं हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में छात्रावास निर्माण हेतु 0.080 है0 भूमि सैनिक कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–3765/15–22/(2011–12) दिनांक 26 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, सेवारत सैनिक/पूर्व सैनिकों के बालकों/बालिकाओं हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में छात्रावास निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खसरा संख्या–4638 के अधीन 0.080 है0 भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

............2

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– राज्य में भूमि की कमी के दृष्टिगत यदि भू–वैज्ञानिक की सर्वेक्षण रिपोर्ट पक्ष मे हों तो अनुमन्य स्तर तक बहुमंजिला भवन का ही निर्माण कराया जाये।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या–818 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।